संख्या –2203 / V–2011–126(आ0) / 2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक23 दिसम्बर, 2011

विषय :वित्तीय वर्ष–2011–2012 में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन परिसर घण्टाघर देहरादून में व्यवसायिक भवन एवं पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–2402 / परि0 / 2011–12, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में उल्लेख कराना है कि वित्तीय वर्ष–2010–2011 में चकराता रोड चौड़ीकरण करने की योजना के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर घंटाघर, देहरादून में व्यवसायिक भवन हेतु शासनादेश सं0–275 / V / 2010 –126(आ0) / 10 दिनांक 03–2–2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रेषित प्रथम चरण के कार्यो हेतु ₹46.40 लाख, शासनादेश संख्या–763 / V / 2010–126(आ0) / 10 दिनांक 25–5–2011 द्वारा ₹ 1091.05 लाख एवं शासनादेश संख्या–1756 / V / 2010–126(आ0) / 10 दिनांक 21–10–2011 द्वारा ₹ 568.725 लाख अर्थात एवं कुल ₹ 1706.175 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी ।

3– उक्त योजना की कुल लागत का 2 / 3 अर्थात ₹ 2274.91(रुपये बाइस करोड़ चौहत्तर लाख इक्यानवे हजार मात्र) लाख राज्य सरकार द्वारा एवं 1 / 3 अर्थात ₹1137.45 लाख (₹ ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून से वहन किए जाने का निर्णय लिया गया है । अतः इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल स्वीकृत लागत ₹ 3412.36लाख (₹ चौंतीस करोड़ बारह लाख छत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष देय राज्यांश ₹ 2274.91 लाख (₹ बाइस करोड़ चौहत्तर लाख इक्यानवे हजार मात्र) के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि ₹ 568.735 लाख (₹ पांच करोड़ अड़सठ लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) शासनादेश संख्या–763 / V / 2011–126(आ0) / 2010, दिनांक 25 मई, 2011 में निर्धारित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।

(ii) Third party inspection/Monitoring की व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाये ।

(iii) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये तथा व्यय उसी मद में किया जाये जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(iv) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं तदविषयक निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(v) कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। आय का विभाजन भी इसके वित्त पोषण के अनुपात में करके तब तद्नुसार ही 2/3 व 1/3 के अनुपात में किया जायेगा ।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्देनगर राखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों एवं विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XVI–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(ix) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाये।

(x) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–12–2011 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(xiii) उक्त स्वीकृत राज्यांश के विपरीत मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के लिए मात्राकृत 1/3 की लागत का 50 प्रतिशत का बजट प्राधिकरण द्वारा भुगतान करके राज्य सरकार एवं मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवमुक्त संकलित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(xiv) स्वीकृत धनराशि का आहरण 2 समान किश्तों में उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बिल बनवाकर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर से किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व किश्त का पूर्ण उपयोग करके ही आगामी किश्त का आहरण कोषागार से किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष–2011–2012 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनेत्तर–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03 नगरों का समेकित विकास–0312–भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास–24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशा0 संख्या–837/xxvii(2)/2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है ।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2203(1)/v/आ0–2–2011–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
(3) सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
(4) जिलाधिकारी, देहरादून ।
(5) परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ई–34 नेहरु कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
(7) वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
(8) नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
(9) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
(10) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम)
अपर सचिव